



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 785]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, मार्च 1, 2018/फाल्गुन 10, 1939

No. 785]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 1, 2018/PHALGUNA 10, 1939

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2018

का.आ. 888(अ).—केंद्रीय सरकार, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का 25) की धारा 29 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 89(अ), तारीख 13 जनवरी, 2014 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,—

(क) खंड 1 में, पैरा ऐ के पश्चात् निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"1 अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ड) के अनुसरण में, निम्नलिखित अभिकरणों के प्रतिनिधि, --

- (i) श्री बेजवाडा विल्सन – सफाई कर्मचारी आंदोलन
- (ii) श्री आशिफ शेख – जन साहस (गरिमा अभियान)

(ख) खंड 2 में, उपखंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(iii) अभिकरणों के प्रतिनिधियों के पद की अवधि,

जो उप-पैरा 1 के अधीन नामनिर्दिष्ट किए गए हैं, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की होगी।”

[फा. सं. 19014/66/13-एससीडी-IV]

आइन्द्री अनुराग, संयुक्त सचिव,

**पाद टिप्पण—** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 13 जनवरी, 2014 संख्यांक का.आ. 89(अ), तारीख 13 जनवरी, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् संख्यांक का.आ. 605(अ), तारीख 28 फरवरी, 2014 का.आ. 2008(अ), तारीख 7 अगस्त, 2014, का.आ. 476(अ), तारीख 16 जनवरी, 2017 और का.आ. 1389(अ), तारीख 2 मई, 2017 द्वारा संशोधित की गई थी।

**MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**

**(Department of Social Justice & Empowerment)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st March, 2018

**S.O. 888(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 29 of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (25 of 2013), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Social Justice and Empowerment number S.O. 89(E), dated the 13<sup>th</sup> January, 2014, namely:—

In the said notification, -

(a) in clause 1, after paragraph H, the following paragraph shall be inserted, namely:-

“I In pursuance of clause (m) of sub-section (2) of section 29 of the Act, the following representatives of agencies,-

- (i) Shri Bezwada Wilson- Safai Karmachari Andolan
- (ii) Shri Asif Shaikh Jan Sahas (Garima Abhiyan)

(b) in clause 2, after sub-clause (ii), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

“(iii) The term of office of the representatives of the agencies who are nominated under sub-paragraph I shall be for a period of three years from the date of publication of this notification.”

[F. No. 19014/66/13-SCD-IV]

AINDRI ANURAG, Jt. Secy.

**Footnote:-** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 13<sup>th</sup> January, 2014, *vide* number S.O. 89(E), dated the 13<sup>th</sup> January, 2014 and was subsequently amended *vide* numbers S.O. 605(E), dated the 28<sup>th</sup> February, 2014, S.O. 2008(E), dated the 7<sup>th</sup> August, 2014, S.O. 476(E) dated the 16<sup>th</sup> February, 2017 and S.O. 1389(E) dated the 2<sup>nd</sup> May, 2017.